न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/189

श्रवणी पुत्री मोती पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी इंदौर एम पी मृतक जर्ये कायम मुकामान–

1/1 लक्ष्मी रानीवाल पुत्री श्रवणी
1/2 सुशीला नागर पुत्री श्रवणी
1/3 दुर्गाशंकर आंकोदिया पुत्र श्रवणी
1/4 गोवर्धन आकोदिया पुत्र श्रवणी,
1/5 तुलसीराम पुत्र श्रवणी
1/6 खेमराज पुत्र श्रवणी जाति बैरवा निवासीगण इंदौर मध्यप्रदेश

– अपीलांटगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी डोली हाल निवासी गुमानपुरा(इटावा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री श्यामलाल सुमन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री राकेश बैरवा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 09.10.2024**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 11/2008 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम डोली की जमाबन्दी संवत 2035–38 की खाता सं० 66 मे ख0नं0 147 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा, ख०न० 175 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 191 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा भूमि बरजी बेवा चतरा कोम चमार निवासी डोली के खाते दर्ज थी। जो जरिये नामा० नं0 188 दिनांक 22.01.83 से बरजी के वारिस गोद पुत्र होने से वादी के

खाते दर्ज हुई। उक्त आराजी के बाद सेटलमेन्ट नवीन ख0न0 112 रकबा 0.03 है०, ख०नं० 113 रकबा 0.86 है०, ख०नं0 240 रकबा 2.30 है०, ख0नं0 241 रकबा 0.32 है0, ख०न० 253 रकबा 0.19 है० कुल किता 5 रकबा 3.70 है० भूमि वादी के खाते दर्ज हुई किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा सहवन से वादी की वल्दियत चतरा के स्थान पर मोती अंकित कर दिया गया जबकि वादी उक्त भूमि अपने गोद पिता चतरा व गोद माता बरजी से विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट अधिकारियो को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था कि वे राजस्व रेकार्ड में उपर वर्णित प्रकार से वादी की वल्दियत में गलत अंकन करे जबकि वादी चतरा व बरजी का गोद पुत्र है को यह कानूनी अधिकार प्राप्त है कि वह सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये त्रुटि पूर्ण अंकन को दुरूस्त करवाकर राजस्व रेकार्ड में अपनी वल्दियत बतौर मोती के स्थान पर चतरा का नाम दर्ज अंकित करावे। अतः दावा वादीगण प्रस्ततु कर निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में वादी की बतौर वल्दियत मोती का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर चतरा का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करे एवं तद्नुसार डिक्री किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.03.2011 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.09.2011 एकपक्षीय पारित किया गया है तथा अपीलांटगण को प्रश्नगत निर्णय दिनांक 25.03.2011 की जानकारी नहीं है। अपीलांट को सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 13.12.2017 को हल्का पटवारी से राजस्व जमा कराने के लिए मिले तब हुई। उसी दिन अपीलांटगण ने नकल का प्रार्थना–पत्र पेश किया व नकल प्राप्त की। इसके बाद रूपयों पैसों का इंतजाम करके परामर्श करके यह अपील पेश की जा रही है। इससे पूर्व कोई ज्ञान अपीलांट को नहीं था। जानकारी की तिथि से अपील अंदर मियाद करार दी जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विलम्ब को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अवधि मध्य होने की आज्ञा फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा ने दिनांक 05.03.2011 को अपीलांट की माता श्रवणी के हिस्से की भूमि को मोती के स्थान पर श्रवण पुत्र चतरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। श्रवणी मोती की जायन्दा पुत्री है। उसकी शादी मांगीलाल से हुई है तथा इंदोर हुई है। अतः अपीलांट की माता की बिना सुनवाई करे ही आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट के अधिकारों का हनन हुआ है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2011 से अपीलांटगण प्रभावित पक्षकार है। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. अपील के विचारधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रश्नगत प्रकरण से सुसंगत दस्तावेज है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जेन्युईन है तथा इन किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायहित प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत नहीं है तथा अपील के निस्तारण में सहायक नहीं है। अतः उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

जाना आवश्यक नहीं है। अन्त में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड व राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियॉं है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.03.2011 न्याय नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। ग्राम डोली तहसील पीपल्दा की भूमि खसरा नम्बर 112 की 00.3 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 113 की रकबा 0.86 है, खसरा नम्बर 240 की 2.30 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 241 की रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 253 की 0.19 है० कुल 5 किता रकबा 3.70 है. रेस्पो नम्बर 1 के खाते दर्ज है जो भूमि मोती पुत्र श्योजी की है, अपीलांटगण श्रवणी पुत्री मोती के जायज वारिसान है। अपीलांटगण की माता की शादी इंदोर में मांगीलाल के यहां हुई थी कुछ समय अपीलांट की माता गुमानपुरा इटावा में निवास करती रही एवं बाद में अपीलांट की माता श्रवणी इंदौर में रहने लग गई मोती की जायदाद पिता व पुश्तैनी होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपीलांटस की माता का भी हिस्सा निहित है। अपीलांटगण की माता को बिना सुचना दिये ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपनी वल्दियत बदलाकर जो कार्यवाही की है व बेबुनियाद होने से काबिले निरस्तनीय है। अपीलांटगण की माता श्रवणी पुत्री मोती का देहांत दिनांक 01.10. 2017 को हो चुका है। अपीलांटगण उसके जायज कायम मुकामान है। उक्त नाम पिता के मोती के स्थान पर चतरा का नाम करने के कारण अपीलांटगण के अधिकारों का हनन हुआ है। विवादित भूमि श्रवणी के पिता मोती की होने से अपीलांटगण का भी हित प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण व अपीलांटगण की माता को सुने ही बिना सूचना दिये ही, बिना साक्ष्य के वल्दियत मोती के स्थान पर चतरा दर्ज करने का जो आदेश/निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों व परम्पराओं के विपरीत होने से काबिल निरस्तीनय है। रेस्पोन्डेंट नम्बर 1 चतरा का गोद पुत्र है उसको चतरा की भूमियां प्राप्त हो चुकी है उसकी मोती की भूमि से कोई सम्बंध नही है चतरा के यहां गोद पुत्र जाने से उसको मोती की भूमि पर वल्दियत बलदवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।अपीलांटगण को व

अपीलांटस की माता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। अतः निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2019 पेज 133 से 139, आर.बी.जे. 2018 एस.सी. पेज 42 से 48, आर.बी.जे. 2020 पेज 162 से 169 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि बरजी बेवा चतरा कोम चमार निवासी डोली के खाते दर्ज रिकॉर्ड थी तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 22.01.1983 से बरजी के वारिस व गोदपुत्र होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज हुई। भू–प्रबन्ध के पश्चात प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते दर्ज रिकॉर्ड हुई परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा सहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वल्दीयत चतरा के स्थान पर मोती अंकित कर दी गई जबकि रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि अपने गोद पिता चतरा व गोद माता बरजी से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। सेटलमेंट कर्मचारियों को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वल्दीयत गलत अंकन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा व बरजी का गोदपुत्र है अतः प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में श्रवण पुत्र मोती के स्थान पर श्रवण पुत्र चतरा का अंकन किया जाना आवश्यक है। अपीलांटगण का प्रश्नगत भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। अपीलांटगण का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांटगण का प्रश्नगत भूमि के खातेदार चतरा से कोई सम्बंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 से अपीलांटगण के किसी प्रकार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है अतः अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 25.03. 2011 को पारित किया गया है तथा अपीलांटगण की ओर से न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 28.12.2017 को पेश की गई है जो गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

11. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में

संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

प्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांटगण की माता श्रवणी पुत्री मोती के खाते की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार श्रवणी पुत्री मोती के अंकन को हटाया जाकर श्रवण पुत्र चतरा का अंकन किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। चूंकि प्रार्थीगण अपीलांटगण ने प्रश्नगत भूमि अपीलांटगण की माता श्रवणी के खाते की भूमि होने का कथन किया है अतः हमारे मत में अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2011 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015 से 2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गत खसरा नम्बर 147, 175, 191 कुल किता 3 कुल रकबा 23 बीघा 15 बिस्वा भूमि चतरा वल्द सोल्या की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 के अनुसार प्रश्नगत भूमि बरजी बेवा चतरा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में "नामा. न 188 दिनांक 22.01.1983 से मृतक बरजी के स्थान पर उसके वारिस रजिस्टर्ड गोद पुत्र सरवण वल्द मोती मु0 चतरा का नाम दर्ज खाता हुआ।" का नोट अंकित है। अतः वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चतरा का गोदपुत्र होने की हैसियत से प्रश्नगत भूमि उसके खाते में दर्ज हुई है। भू–प्रबन्ध के पश्चात प्रश्नगत भूमि के नवीन खसरा नम्बर 112, 113, 240, 241, 253 कुल किता 5 कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर कायम किए गए है। जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सरवण पुत्र मोती की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में प्रश्नगत आराजी भूमि विकास बैंक कोटा शाखा इटावा के रहन होने का नोट अंकित है। अतः यह तथ्य पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखो से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि चतरा के खाते की भूमि है तथा प्रश्नगत भूमि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

में चतरा के गोदपुत्र की हैसियत से दर्ज हुई है। अतः अपीलांटगण का अपील में अंकित यह कथन प्रमाणित नहीं है कि प्रश्नगत भूमि मोती पुत्र श्योजी के खातेदारी की भूमि है। अपीलांटगण मृतक श्रवणी पुत्री मोती के वारिसान है तथा अपीलांटगण ने श्रवणी पुत्री मोती के वारिसान होने के आधार पर प्रश्नगत भूमि में स्वयं का हक अधिकार निहित होने का कथन किया है। अपीलांटगण ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज अथवा राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भूमि पूर्व में मोती पुत्र श्योजी की खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता हो। चूंकि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में मोती के खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित नहीं है अतः अपीलांटगण का श्रवणी पुत्री मोती के वारिसान की हैसियत से प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है। अपील के पैरा संख्या 4 में अपीलांटगण के कथन के कुछ अंश इस प्रकार है, "रेस्पोडेन्ट संख्या 1 चतरा का गोदपुत्र है उसको चतरा की भूमियां प्राप्त हो चुकी है उसकी मोती की भूमि से कोई सम्बंध नहीं है चतरा के यहां गोद पुत्र जाने से उसको मोती भूमि पर वल्दियत बलदवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।" हम अपीलांटगण के इस कथन से सहमत है कि चतरा का गोदपुत्र होनें के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मोती की भूमि से कोई सम्बंध नहीं है तथा मोती की भूमि पर वल्दियत बदलवाने का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। परन्तु प्रश्नगत वाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी वल्दियत मोती के खाते की भूमि पर नहीं अपितु चतरा के खाते की भूमि पर बदलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कियात्मक आदेश में भी प्रश्नगत भूमि में वादी की बतौर वल्दियत मोती का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर चतरा का नाम दर्ज किए जाने का आदेश अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोती के खाते की भूमि व राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि मोती के खाते की भूमि नहीं है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 से अपीलांटगण के किसी प्रकार के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में अपीलांटगण असफल रहे है अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 11/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 यथावत रखी जाती है।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/10/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/189

श्रवणी पुत्री मोती पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी गुमानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी इंदौर एम पी मृतक जर्ये कायम मुकामान–
1/1 लक्ष्मी रानीवाल पुत्री श्रवणी
1/2 सुशीला नागर पुत्री श्रवणी
1/3 दुर्गाशंकर आंकोदिया पुत्र श्रवणी
1/4 गोवर्धन आकोदिया पुत्र श्रवणी,
1/5 तुलसीराम पुत्र श्रवणी
1/6 खेमराज पुत्र श्रवणी जाति बैरवा निवासीगण इंदौर मध्यप्रदेश

– अपीलांटगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी डोली हाल निवासी गुमानपुरा(इटावा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्याः 11/2008

श्रवण पुत्र चतरा जाति बैरवा निवासी डोली हाल निवासी गुमानपुरा(इटावा) तहसील पीपल्दा जिला कोटा
——वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
——प्रतिवादी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 11/2008 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में

निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

उक्त अपील तारीख 09.10.2024 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री श्यामलाल सुमन तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओर से विद्वान अभिभाषक श्री राकेश बैरवा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.03.2011 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 09.10.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

9/x/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा